

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 91/11

संस्थापन दिनांक:-15/04/11

फाईलिंग नं. 233504000092011

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

1. दिलावर पिता जतनरजा, उम्र 65 वर्ष,
2. असलम पिता दिलावर खां, उम्र 26 वर्ष
3. नीलोफर पिता दिलावर खां, उम्र 22 वर्ष,
4. नफीसा पति दिलावर खां, उम्र 50 वर्ष,  
 सभी निवासी वार्ड क. 07, आमला,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 25.10.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 452 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.03.2011 को शाम 05:55 बजे साइना परवीन का निवास वार्ड क. 07 आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी साइना परवीन को मां बहन की अश्लील गाली देकर उसे एवं दूसरो को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी साइना परवीन को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी साइना परवीन को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी साइना परवीन एवं उसके पति को उपहति हमला या सदोष अवरोध करने की तैयार के पश्चात प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी शाइस्ता परवीन नजूल की भूमि पर मकान निर्मित कर निवास करती थी। उक्त मकान को लेकर उसका पड़ोसी दिलावर आये दिन विवाद व झगड़ा करता रहता था। घटना दिनांक को उसका पति उसके मकान की सीमेंट की चादर पर पन्नी लगा रहा था तभी अभियुक्तगण उसके पति के साथ मारपीट करने लगे। अभियुक्तगण ने उसे भी थप्पड़ मारे। जिसके बाद वह रिपोर्ट करने गयी और उसके पति ईलाज करवाने गये। इस बीच जब वह घर पहुंची तो अभियुक्तगण ने उसके घर के अंदर घुसकर घर का सामान बाहर फेंका तथा टीवी, आलमारी, पलंग, बर्तन की तोड़फोड़ कर दी तथा उसे मादरचोद बहनचोद की गालियां दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला

में अपराध क. 52/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। नुकसानी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी साइना परवीन को अदम पता घोषित किये जाने के कारण उसका परीक्षण नहीं किया जा सका है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि आहत गुड्डू उर्फ शाबिर का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को आहत गुड्डू उर्फ शाबिर के संबंध में धारा 323/34, 427 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु फरियादी साइना के संबंध में लगे धारा 294, 323/34 भा.द.सं. एवं धारा 452 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी साइना परवीन को मां बहन की अश्लील गाली देकर उसे एवं दूसरो को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी साइना परवीन को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी साइना परवीन को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी साइना परवीन एवं उसके पति को उपहति हमला या सदोष अवरोध करने की तैयार के पश्चात प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

**विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण**

6 गुड्डू उर्फ शाबिर (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह

प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने उसकी पत्नी साइना परवीन के साथ गाली गलौच की थी परंतु साक्षी के द्वारा उन शब्दों को नहीं बताया गया है जो कि अभियुक्तगण द्वारा उच्चारित किये गये थे। साथ ही प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसे घटना की जानकारी उसकी पत्नी ने दी थी। प्रकरण में फरियादी साइना परवीन के अदम पता हो जाने के कारण उसका परीक्षण नहीं किया गया है। अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्तगण ने गुड्डू उर्फ शाबिर के साथ मारपीट की तथा मारपीट करते समय गाली गलौच की। जबकि स्वयं आहत गुड्डू उर्फ शाबिर ने अपने समक्ष घटना घटित होने से इनकार किया है। तब ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी साइना परवीन को अश्लील शब्द उच्चारित किये जाने के संबंध में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

### **विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण**

7 गुड्डू उर्फ शाबिर (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने उसकी पत्नी के साथ घर के आंगन में मारपीट किया था। साथ ही यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने उसके सामने उसकी पत्नी साइना परवीन के साथ कोई मारपीट नहीं की थी तथा उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्तगण का उसके साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा या विवाद नहीं हुआ था। जबकि अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्तगण ने गुड्डू उर्फ शाबिर के साथ मारपीट की तथा उसके बाद उसकी पत्नी साइना परवीन को भी मारा। प्रकरण में आहत साइना परवीन की एमएलसी रिपोर्ट संलग्न नहीं है। साक्षी गुड्डू उर्फ शाबिर ने अभियोजन कथा से हटकर कथन किये हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण ने फरियादी साइना परवीन के साथ सामान्य आशय निर्मित कर मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

### **विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण**

8 गुड्डू उर्फ शाबिर (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके घर में तोड़फोड़ किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसे उसकी पत्नी साइना परवीन ने अस्पताल से वापस घर लौटते समय रास्ते में यह बताया था कि अभियुक्त दिलावर खां अपने परिवार के साथ घर में आकर घर के अंदर घुसकर सामान की तोड़फोड़ किये हैं परंतु प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसकी पत्नी साइना परवीन ने अभियुक्तगण से विवाद किया था और घर का सामान निकालकर फेंक दिया था और बाद में उसे झूठी जानकारी दी थी। पैरा क. 03 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसे उसके मकान मालिक/अभियुक्त दिलावर शाह ने यह बताया था कि तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी पत्नी गैर मर्द के साथ रहती है। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि इसी बात पर से उसकी पत्नी साइना परवीन ने अभियुक्तगण के साथ

लड़ाई झगड़ा किया था और उसे अभियुक्तगण के खिलाफ भड़काया था। पैरा क. 04 में उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने अपनी पत्नी साइना परवीन को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था इसलिए उसे तलाक दे दिया है।

9 अभियोजन कथा अनुसार जब फरियादी साइना परवीन और उसके पति गुड्डू उर्फ शाबिर अस्पताल से घर पहुंचे तब अभियुक्तगण ने उसके घर के अंदर घुसकर घर का सामान बाहर फेंक दिया और तोड़फोड़ की। साक्षी गुड्डू उर्फ शाबिर (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसकी पत्नी साइना ने स्वयं घर का सामान बाहर निकालकर फेंका था। अभियोजन कथा अनुसार ही अभियुक्तगण द्वारा फरियादीगण के सामने फरियादीगण के घर के अंदर तैयार की पश्चात प्रवेश किया गया हो ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है। अतः उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी साइना परवीन एवं उसके पति को उपहति हमला या सदोष अवरोध करने की तैयार के पश्चात प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया गया हो।

#### विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

10 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी साइना परवीन को मां बहन की अश्लील गाली देकर उसे एवं दूसरो को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी साइना परवीन को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी साइना परवीन को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी साइना परवीन एवं उसके पति को उपहति हमला या सदोष अवरोध करने की तैयार के पश्चात प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। फलतः अभियुक्तगण दिलावर, असलम, नीलोफर एवं नफीसा को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 452 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)